रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012024-251623
CG-DL-E-29012024-251623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024/माघ 9, 1945
No. 333] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

का.आ. 354(अ).—स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् सिमी कहा गया है) ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है, जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और उनमें शांति और सामुदायिक सद्भाव को भंग करने तथा देश की धर्मनिरपेक्षता को बाधित करने की क्षमता है ;

और, केंद्रीय सरकार ने, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप) निवारण (अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिमी को अधिसूचना संख्या, (i) का.आ. 960(अ), तारीख 27 सितंबर, 2001, (ii) का.आ. 1113(अ), तारीख 26 सितम्बर, 2003, (iii) का.आ. 191(अ), तारीख 8 फरवरी, 2006, (iv) का.आ. 276(अ), तारीख 7 फरवरी, 2008 ; (v) का.आ. 260(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010, (vi) का.आ. 224(अ), तारीख 3 फरवरी, 2012, (vii) का.आ. 299(अ), तारीख 1 फरवरी, 2014, और (viii) का.आ. 564(अ), तारीख 31 जनवरी, 2019 द्वारा सिमी को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया है ;

और, यह न्यायनिर्णयन करने के लिए कि, क्या सिमी को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त हेतुक है, प्रयोजन के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 के अधीन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिकरण कहा गया है) का गठन किया गया और अधिकरण ने अधिसूचना सं. (i) का.आ. 397(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2002 ; (ii) का.आ. 499(अ), तारीख 16 अप्रैल, 2004, (iii) का.आ. 1302(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006, (iv) का.आ. 1990(अ), तारीख 12 अगस्त, 2010, (v) का.आ. 1745(अ), तारीख 6 अगस्त, 2012, (vi) का.आ. 2050(अ), तारीख 12 अगस्त, 2014 और (vii) का.आ. 3083(अ), तारीख 27 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित इस प्रकार की गई घोषणा की पुष्टि की है ;

और, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन रोक की अवधि 30 जनवरी, 2024 को समाप्त हो जाएगी ;

और, केन्द्रीय सरकार की राय में सिमी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आधारों के आधार पर देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं, अर्थात् -

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) द्वारा फुलवाड़ी शरीफ, पटना के अतहर परवेज और मो. जलालुद्दीन के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री के जुलाई 2022 के भ्रमण के दौरान षडयंत्र करने का मामला अपराध सं. आरसी-31/2022/एनआईए/डीएलआई रजिस्टर किया गया है । दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 17, धारा 18, धारा 18क, धारा 18ख, धारा 38 और धारा 39 सहित विभिन्न उपबंधों के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया गया;

(2) राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) द्वारा साकिब नाचन, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, सिमी के विरुद्ध मामला अपराध सं. आरसी-29/2023/एनआईए/डीएलआई रजिस्टर किया गया है । वह हिंसक जिहाद या हिजारत के लिए मुस्लमानों को कट्टरपंथी बनाने के लिए मुख्य षड़यंत्र करता था । वह मुस्लिम युवकों को 'वैथ' (आईसीआईएस का प्रतिज्ञान और निष्ठा) दे रहा था । इसके अतिरिक्त, वह अन्य व्यक्तियों को आईएसआईएस का 'वैथ' लेने के लिए प्रेरित कर रहा था । यह अभिकथन किया गया है कि उसने पडगा गांव जहां शरिया कानून का अनुसरण किया जाता है, जैसे क्षेत्र में 'अल शाम' स्थापित किया हुआ है;

(3) राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण ने शिहाबुदीन उर्फ सिराजुदीन उर्फ खालिद उर्फ राजेश, पूर्व सिमी सदस्य के खिलाफ मामला अपराध सं. आरसी-04/2020/एनआईए/डीएलआई रजिस्टर किया गया है । मई 2019 में, वह अन्नान निनेवु नगर, पुझाल में एक किराए के घर में ख्वाजा मोहिदीन और अन्य लोगों से मिला और भारत में अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन आईएसआईएस/दाएश के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के भाग के रूप में भारत में खिलाफत या इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए ख्वाजा मोहिदीन द्वारा गठित आतंकवादी गिरोह में शामिल हो गया। उसे ख्वाजा मोहिदीन से हथियारों और गोला-बारूद की खरीद के लिए धन प्राप्त हुआ है। उसके विरुद्ध तारीख 9 मार्च 2021, को आरोप-पत्र दाखिल किया गया ;

(4) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा पूर्व सिमी सदस्य, टी. नसीर (जो बाद में अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) में शामिल हो गया) के खिलाफ मामला अपराध सं. आरसी-28/2023/एनआईए/डीएलआई दर्ज किया गया है । वह नए विचारणाधीन कैदियों का चयन करता था और उन्हें अपने बैरक में स्थानांतरित करवा लेता था । वह वर्ष 2017 से केंद्रीय कारागार, बेंगलुरु में एलईटी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका धर्म परिवर्तित करता था, उसे कट्टरपंथी बनाता था और संगठन में भर्ती करता था । उनके षडयंत्र को अग्रसर करने और टी. नसीर के अनुदेशों पर, सह-अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तों की मिलीभगत से हथियारों तथा गोला-बारूद और विस्फोटकों की व्यवस्था की । वह अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कारागार में निधियां जुटाने के कार्य में संलिप्त था । विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अधीन मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और उसके विरुद्ध तारीख 12 जनवरी, 2024 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया है ।

(5) अल-कायदा और आईएसआईएस सहित अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठनों की हिंसक चरमपंथी विचारधारा का प्रचार करने के इरादे से संयुक्त अरब अमीरात में गठित जिहादी समर्थक जमात के मुख्य नेता मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इब्राहिम जमाली, जो अभिनिषिद्ध संगठन सिमी के पूर्व राज्य सचिव है, के विरुद्ध राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा मामला अपराध सं. आरसी-16/2019/एनआईए/डीएलआई रजिस्टर किया गया है । उसने संयुक्त अरब अमीरात में गैरकानूनी जमात द्वारा आयोजित बैठकों और कक्षाओं के दौरान ऐसे विषयों पर व्याख्यान देते समय हिंसक जिहाद और इस्लामी खिलाफत की स्थापना की वकालत करने वाली आईएसआईएस/दैश समर्थक सामग्री प्राप्त की है और उसका प्रचार-प्रसार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध एनआईए विशेष अदालत, चेन्नई के समक्ष तारीख 1 जनवरी, 2020 को इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है ;

(6) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा पूर्व सिमी काडर शेख हिदायतुल्लाह वाई उर्फ फिरोज खान उर्फ फिरोजी के खिलाफ मामला अपराध सं. आरसी-02/2019/एनआईए/केओसी रजिस्टर किया गया है । शेख हिदायतुल्ला अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन आईएसआईएस/दाएश की विचारधारा का प्रचार-प्रसार

करने और दक्षिण भारत में विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु के शहरों में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की दृष्टि से अतिसंवेदनशील युवाओं की भर्ती करने के षड्यंत्र में शामिल था । उनके परिसर में की गई तलाशी के दौरान, सिमी से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया । उसके विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 38 और 39 के अधीन इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है ;

(7) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा मामला अपराध सं. आरसी-06/2020/ एनआईए/डीएलआई रजिस्टर किया गया है जो कि तारीख 8 जनवरी, 2020 को श्री एसएसआई विल्सन की हत्या से संबंधित है । जांच के दौरान उर्फ एस. शहाबुदीन उर्फ शिहाबुदीन उर्फ सिराजुद्दीन की अत्यधिक मिलीभगत का पता चला जिसके परिणामस्वरूप तारीख 6 जनवरी , 2021 को उनकी गिरफ्तारी हुई । यह भी पता चला कि इस अभियुक्त की गुप्त राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता बनी हुई है क्योंकि इस पूर्व सिमी सदस्य का हार्ड कोर आईएसआईएस काडर से संबंध हैं । वह भड़काऊ और अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन में भी शामिल था, जिससे दूसरों को आतंकी कृत्य करने के लिए उकसाया ;

(8) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा पूर्व सिमी नेता मोहम्मद अली उर्फ कुन्हप्पू हाजी उर्फ कुंजप्पू साहिब उर्फ कुन्जप्पुक्का के खिलाफ मामला अपराध सं. आरसी-02/2022/एनआईए/केओसी रजिस्टर किया गया है । अभियुक्त सिमी का पूर्व सदस्य और पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई) , केरल का पूर्व वाइस प्रेजिडेंट है । वह पेरियार घाटी परिसर अलुवा में अलग-अलग मौकों पर आयोजित हथियारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और पर्यवेक्षण का कार्य करता था । उसने पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया के काडरों में हिंसक जिहाद का प्रचार किया और पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बैठकों में आतंकवादी गतिविधियों को भी सही कहा । उसके विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16, धारा 18क, धारा 18ख, धारा 38 और धारा 39 सहित विभिन्न उपबंधों के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया है ;

(9) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा ई. एम. अब्दुल रहमान, पूर्व नेशनल सेक्रेटरी, सिमी, ई. अबुबकर, पूर्व स्टेट प्रेजिडेंट सिमी और पीएफआई के संस्थापक अध्यक्ष, पी. कोया, पूर्व सिमी सदस्य और पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया के संस्थापक सदस्य, ए. एस. इस्माइल, पूर्व सिमी सदस्य और पीएफआई, तमिलनाडु के पूर्व स्टेट प्रेजिडेंट के विरुद्ध अपराध सं. आरसी-14/2022/एनआईए/डीएलआई रजिस्ट्रीकृत किया गया है। अभियुक्त ने मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने, 'बिगिनर्स कोर्सेस' और जाहिर तौर पर सामान्य दिखने वाले कार्यक्रमों की आड़ में देश भर में हथियार प्रशिक्षण प्रदान करने, धनराशि एकत्र करने और विधिविरुद्ध क्रियाकलापो को कारित करने के लिए व्यक्तियों को धनराशि की सुविधा प्रदान करने के माध्यम से पीएफआई (प्रतिबंधित संगठन) के विस्तार के लिए बैठकों का आयोजन किया एवं वह हिंसक विधिविरुद्ध और आतंकवादी कृत्य करने के षडयंत्र में शामिल था। उपर्युक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध तारीख 18 मार्च, 2023 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया;

(10) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा पूर्व सिमी काडर ए. आर. कुरैशी के विरुद्ध अपराध सं. आरसी-01/2023/एनआईए/डीएलआई का मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है। उसने अपने सहयोगियों के साथ इस्लामी जिहाद के उद्देश्य और भारत में लक्षित हत्या के लिए आईएसआईएस में शामिल होने का षडयंत्र रचा। उसके विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है;

(11) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2020 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन उमैर सिद्दीकी और अन्य के विरुद्ध अपराध मामला सं. ईसीआईआर/आरपीएसजेडओ/05/2020 रजिस्ट्रीकृत किया गया है। सिमी का संदिग्ध कार्यकर्ता उमेर सिद्दीकी वर्ष 1999 से प्रतिबंधित संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन के विभिन्न सदस्यों को शरण देता था। उमेर सिद्दीकी और उसके समूह ने बारनवापारा के जंगल में सिमी के एक शिविर का आयोजन किया और इस बैठक का उद्देश्य सिमी संगठन को मजबूत करना तथा इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के आतंकवादी की सहायता के लिए धन एकत्र करना था;

(12) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अन्य के साथ पीएफआई के पदाधिकारियों, पूर्व सिमी सदस्यों और काडरों (अब प्रतिबंधित), के विरुद्ध अपराध सं. ईसीआईआर/एसटीएफ/17/2022 का मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जो भारत भर में आतंकवादी कृत्यों को करने या कराने के लिए बैंकिंग चैनलों, हवाला, दान, आदि के माध्यम से भारत और विदेशों में धन एकत्र करने के लिए साजिश रच रहे हैं और धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं।

ये काडर एवं सदस्य सिमी और आईएसआईएस जैसे अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने और उन्हें आगे बढ़ाने की गतिविधियों में भी संलिप्त हैं;

(13) दो धर्मों या समुदायों के बीच सांप्रदायिक दरार पैदा करने तथा हिंसा की स्थिति पैदा करने और दोनों समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने एवं सामाजिक सद्भाव भंग करने के लिए जामा (मोती) मस्जिद, पडघा, बोरीवली, ठाणे पर भड़काऊ बातें लिखने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153(क), 153(1)(क)(ख) और 153(2) के अधीन पडघा पुलिस स्टेशन, ठाणे (आर) में अपराध मामला सं. 203/2022 रजिस्ट्रीकृत किया गया है। मामला न्यायालय में विचारणाधीन है;

(14) अहमदाबाद एनआईए कोर्ट में अतीक नाचन को जमानत दिलवाने के लिए नारे लगाने और रैली आयोजित करने और कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, ठाणे के प्रतिषेध आदेश का उल्लंघन करने के लिए मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 194 (घ), 129, 177 के साथ पठित महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(1)(3), 135 के अधीन पडघा पुलिस स्टेशन, ठाणे (आर) में अपराध मामला सं. 15/2023 रजिस्ट्रीकृत किया गया है । मामला न्यायालय में विचारणाधीन है;

(15) भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 121क, 122, 123, 120ख के अधीन एसटीएफ पुलिस स्टेशन, खंडवा में अलग-अलग आईएसआईएस समर्थक, खलीफा समर्थक टेलीग्राम चैनलों का सदस्य होने के नाते अब्दुल रकीब के विरुद्ध अपराध मामला सं. 1/2023 रजिस्ट्रीकृत किया गया है। वह नियमित रूप से आईएसआईएस से संबंधित वीडियो देखता था और उसे डाउनलोड भी करता था;

(16) विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की स्थापना दिवस के अवसर पर 25 अगस्त, 2019 को इसकी रैली पर जामा मस्जिद के ऊपर से हमला करने और पत्थरबाजी करने के लिए मोहम्मद सलाम उर्फ सल्ला के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341, 342, 323, 15क, 295क, 296, 298 के अधीन कोतवाली पुलिस स्टेशन, गंगापुर, सवाई माधोपुर में अपराध मामला सं. 493/2019 रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(17) विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की स्थापना दिवस के अवसर पर 25 अगस्त, 2019 को इसकी रैली पर जामा मस्जिद के ऊपर से हमला करने और पत्थरबाजी करने के लिए आलिम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 332, 353, 427 के अधीन कोतवाली पुलिस स्टेशन, गंगापुर, सवाई माधोपुर में अपराध मामला सं. 488/2019 रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(18) भारतीय दंड संहिता की धारा 153क, 34, 153ख, 195क, 124क के अधीन गोहलपुर पुलिस स्टेशन, जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत अपराध मामला सं. 706/2006 में सिमी के दो कार्यकर्ताओं को अपर जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर के न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 295क के अधीन दो वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है;

(19) भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 419 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन कोतवाली थाना, भोपाल में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 95/2008 के अधीन अपर मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय भोपाल द्वारा तीन सिमी कार्यकर्ताओं को भा.दं. सं. की धारा 419 के अधीन तीन वर्ष का सादा कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10क के अधीन दो वर्ष का सादा कारावास और दस हजार रुपए प्रत्येक का जुर्माना और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13(1)(क), 13(1)(ख) के अधीन सात वर्ष का सादा कारावास और दस हजार रुपए प्रत्येक का जुर्माना, और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13(2) के अधीन पांच वर्ष का सादा कारावास और दस हजार रुपए प्रत्येक का जुर्माना लगा कर दण्डित किया गया है ;

(20) एक सिमी कार्यकर्ता को जेएमएफसी, इंदौर के न्यायालय ने खजराना पुलिस स्टेशन, इंदौर में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 192/2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क, 153 ख और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11, 13 के अधीन तीन वर्ष के कारावास का दंड दिया गया है;

(21) भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 205/2008 में जिला भोपाल के न्यायालय ने दो सिमी कार्यकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के अधीन तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया है।

(22) भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 506 और आयुध अधिनियम,1959 की धारा 25 और 27 के अधीन इंदौर के खजराना पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 802/2008 के अधीन जिला इंदौर के न्यायालय ने एक सिमी कार्यकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अधीन दस वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अधीन पांच वर्ष का कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

(23) भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153क, 153ख और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13 के अधीन एसटीएफ/एटीएस पुलिस स्टेशन, भोपाल में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 05/2009 में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), इंदौर के न्यायालय द्वारा तीन सिमी कार्यकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना तथा दो सिमी कार्यकर्ताओं को धारा 143 के अधीन छह मास का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 153क के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ख के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम, 2004 की धारा 10 के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन मास के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई।

(24) विशेष न्यायाधीश, एनआईए, भोपाल के न्यायालय ने दो सिमी कार्यकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 20, 21 और आयुध अधिनियम,1959 की धारा 25, 27 के अधीन बीएनपी पुलिस स्टेशन, देवास में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 456/2009 में भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397 के अधीन प्रत्येक को आजीवन कारावास और एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त छह मास के कारावास का दंड दिया गया है;

(25) भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 450, 398 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25,27 के अधीन भंवर कुवां, इंदौर में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 13/2010 में अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर द्वारा एक सिमी कार्यकर्ता को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और एक अन्य सिमी कार्यकर्ता को दस वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया है;

(26) भारतीय दंड संहिता की धारा 307,302,34 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम, 1967 की धारा 10,13,16,18 तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25, 27 के अधीन जीआरपी रतलाम पुलिस स्टेशन, इंदौर (रेल) में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 35/2011 में विशेष न्यायाधीश, एनआईए, भोपाल के न्यायालय द्वारा एक सिमी कार्यकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम, 1967 की धारा 16 (1) (क) के अधीन आजीवन कारावास और जुर्माने का दंड दिया गया है।

(27) चार सिमी कार्यकर्ताओं को विशेष न्यायाधीश, एनआईए, भोपाल द्वारा एसटीएफ/एटीएस पुलिस स्टेशन, भोपाल में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 22/2013 में दंडित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(i) एक सिमी कार्यकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1-ख) क, 27 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है;

(ii) एक सिमी कार्यकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1-ख) क, 27 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना,भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अधीन सात वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है;

(iii) एक सिमी कार्यकर्ता को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4(ख) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5(ख) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा

120ख के अधीन आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अधीन सात वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम, 1967 की धारा 16 के अधीन आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है; और

(iv) एक सिमी कार्यकर्ता को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 और 5 (ख) दोनों के अधीन पृथक पृथक आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम,1967 की धारा 16 के अधीन आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है;

(28) भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 34, 120 ख, 107, 115 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13(1), 13(2), 15, 16, 18, 19, 20,38, 39 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3, 4, 5, 6 तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अधीन पुलिस थाना एसटीएफ/एटीएस, भोपाल में रजिस्ट्रीकृत मामला अपराध संख्या 01/2014 में विशेष न्यायाधीश, एनआईए, भोपाल द्वारा पांच सिमी कार्यकर्ताओं को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16ख, 18 के साथ-साथ आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अधीन कठोर आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है,

और, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों के अधीन सिमी को 'विधि विरुद्ध संगठन' घोषित करने की सिफारिश की है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि सिमी की विधि विरुद्ध क्रियाकलापों पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं किया गया, तो वह–

(i) अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियां जारी रखकर और अपने भगौड़े कार्यकर्ताओं को पुन: संगठित करके ;

(ii) साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़कर लोगों के मस्तिष्क को प्रदूषित करके देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को क्षति पहुंचाकर;

(iii) राष्ट्र-द्रोही भावनाएं प्रसारित करके;

(iv) उग्रवाद का सहयोग करके अलगाववाद को बढ़ावा देकर; और

(v) देश की अखण्डता तथा सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम देकर इस अवसर का फायदा उठाएगा;

और, उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार की दृढ़ राय है कि सिमी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को तत्काल प्रभाव से ' विधि विरुद्ध संगठन' घोषित करना आवश्यक है;

अब, इसलिए, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को एक विधि विरुद्ध संघ घोषित करती है;

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की दृढ़ राय है कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को तत्काल प्रभाव से **'विधि विरुद्ध संगठन'** घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन रहते हुए, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं.14017/8/2023-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2024

S.O. 354(E).—Whereas the Students Islamic Movement of India (hereinafter referred to as the **SIMI**) has been indulging in activities, which are prejudicial to the security of the country and have the potential of disturbing peace and communal harmony and disrupting the secular fabric of the country;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the SIMI as an unlawful association, *vide*, notification numbers, (i) S.O. 960 (E), dated the 27th September, 2001, (ii) S.O. 1113 (E), dated the 26th September, 2003, (iii) S.O. 191 (E), dated the 8th February, 2006, (iv) S.O. 276(E), dated the 7th February , 2008, (v) S.O. 260 (E), dated the 5th February, 2010, (vi) S.O. 224 (E), dated the 3rd February, 2012, (vii) S.O. 299(E), dated the 1st February, 2014, and (viii) S.O. 564(E), dated the 31st January, 2019;

And whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (hereinafter referred to as the Tribunal) constituted under section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the SIMI as an unlawful association and the Tribunal by its orders published, *vide*, notification numbers, (i) S.O. 397 (E), dated the 8th April, 2002, (ii) S.O. 499 (E), dated the 16th April, 2004, (iii) S.O. 1302 (E), dated the 11th August, 2006, (iv) S.O. 1990 (E), dated the 12th August, 2010, (v) S.O. 1745 (E), dated the 6th August, 2012, (vi) S.O. 2050(E), dated the 12th August, 2014 and (vii) S.O. 3083(E), dated the 27th August, 2019, has confirmed the declaration so made;

And whereas, the duration of ban under sub-section (1) of section 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 shall cease on the 30th day of January, 2024;

And whereas, the Central Government is of the opinion that SIMI is indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country on the basis, *inter alia*, of the following grounds, namely:-

1. Case Crime No. RC-31/2022/NIA/DLI has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against Athar Parvej and Mohd. Jalaluddin of Phulawari Sharif, Patna relating to conspiracy of disrupting the visit of Hon'ble Prime Minister in July 2022. Both the accused were arrested and charge-sheeted under various provision including section 17, 18, 18A, 18B 38 and 39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

2. Case Crime No. RC-29/2023/NIA/DLI has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against Saquib Nachan, ex-National General Secretary of SIMI. He was main conspirator and radicalising Muslims for violent Jihad or Hijarat. He was giving 'Baith' (Pledge and Allegiance to ISIS) to Muslim youths. Further, he motivated other persons to take 'Baith' of ISIS. He is alleged to have established 'Al Sham' like area in Padga village, wherein sharia law is followed;

3. Case Crime No. RC-04/2020/NIA/DLI has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against Shihabudeen @ Sirajudeen @ Khalid @ Rajesh, ex-SIMI member. In May 2019, he met Khaja Mohideen and others in a rented house at Annan Ninaivu Nagar, Puzhal and joined the terrorist gang formed by Khaja Mohideen for establishing Khilafat or Islamic Rule in India, as part of furthering the objectives of the proscribed terrorist organisation ISIS/Daish in India. He has received funds from Khaja Mohideen for procurement of fire arms and ammunition. He was charge-sheeted on 9th March, 2021;

4. Case Crime No. RC-28/2023/NIA/DLI has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against T. Naseer, ex-SIMI member, later joined Lashkar-e-Taiba (LeT), a proscribed terrorist organisation. He used to select newly lodged Under Trial prisoners and got them transferred to his barrack. He further convert, radicalise and recruit them for furthering the activities of LeT in Central Prison, Bengaluru from 2017 onwards. In furtherance to their conspiracy and on the instructions of T. Naseer, co-accused arranged arms and ammunitions and explosives in collusion with other accused. He was involved in raising funds in the Prison for furthering their activities of proscribed terrorist organisation. The accused has been charge-sheeted in the case under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. He has been charge-sheeted on 12th January, 2024;

5. Case Crime No. RC-16/2019/NIA/DLI has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against Mohammed Ibrahim @Ibrahim Jamali, who is an ex-State Secretary of the proscribed organisation SIMI, was the main leader of the pro-jihadi jamaat formed in UAE with the intention of propagating violent extremist ideology of proscribed terrorist organisations including Al-Qaeda and ISIS. He has also subscribed and disseminated pro-ISIS/ Daish material advocating violent jihad and establishment of Islamic Khilafat, while delivering lectures on such topics during the meetings and classes organised by the unlawful jamaat in United Arab Emirates. The accused has been charge-sheeted in the instant case on 1st January, 2020 before the NIA Special Court, Chennai;

6. Case Crime No. RC-02/2019/NIA/KOC has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against ex-SIMI cadre Sheik Hidayathullah Y @ Firoze Khan @ Firozy. Sheik Hidayathulla was a part of conspiracy in propagating the ideology of proscribed terrorist organisation ISIS/Daesh, and also recruiting vulnerable youths with a view to carry out terrorist attacks in South India especially in the cities of Kerala and Tamil Nadu. During the search conducted in his premise, various documents relating to SIMI were seized. He has been charge-sheeted in the instant case under section 38 and 39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

7. Case Crime No. RC-06/2020/NIA/DLI has been registered by the National Investigation Agency (NIA) which pertains to the murder of Shri SSI Wilson on 8th January, 2020. During investigation serious involvement of @S. Shahabudeen @Shihabudeen @Sirajudeen @Khalid was revealed which resulted in his arrest on 6th January, 2021. It was also revealed that this accused has been continuing with covert anti national activities as the former SIMI member having association with hard core ISIS cadres. He was also involved in publication of provocative and highly objectionable material inciting others to commit terror acts;

8. Case Crime No. RC-02/2022/NIA/KOC has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against ex-SIMI leader Mohammed Ali @Kunhappu Haji @Kunjappu Sahib @Kunjappukka. The accused is an ex-SIMI member and former state vice-president of Popular Front of India (PFI), Kerala. He used to arrange and supervise arms training conducted at Periyar Valley campus Aluva on various occasions. He propagated violent jihad to the cadres of Popular Front of India and also justified the terrorist activities in Popular Front of India meetings. He has been charge-sheeted under various provisions including section 16, 18A, 18B, 38 and 39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

9. Case Crime No. RC-14/2022/NIA/DLI has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against E.M. Abdul Rehman, ex-National Secretary, SIMI, E. Abubacker, ex-State President SIMI and founding chairman of Popular Front of India, P. Koya, ex-SIMI member and founding member of PFI, A. S. Ismail, ex-SIMI member and State President of PFI, Tamil Nadu. Accused were, conducted meetings for expansion of PFI (banned organisation) through radicalising and recruiting Muslims, providing weapons training classes across the country under the garb of 'Beginners Course' and other seemingly innocuous programs, collection of funds and facilitating funds to persons for commission of unlawful activities and was involved in conspiracy to commit violent unlawful and terrorist act. All the aforesaid accused were charge-sheeted on 18th March, 2023;

10. Case Crime No. RC-01/2023/NIA/DLI has been registered by the National Investigation Agency (NIA) against ex-SIMI cadre A. R. Qureshi. He along with his associates hatched the conspiracy to join the ISIS for the cause of Islamic Jihad and targeted killing in India. He has been charge-sheeted in the instant case under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

11. Case Crime No. ECIR/RPSZO/05/2020 dated 27th February, 2020 has been registered by the Directorate of Enforcement under the Prevention of Money Laundry Act, 2002, Umair Siddiqui and Others. Umair Siddiqui a suspicious activist of SIMI, used to give shelter to various members of the banned organisation SIMI and Indian Mujahiddin terrorist organisation from the year 1999. Umair Siddiqui and his group organised a camp of SIMI in forest of Barnawapara and the purpose of the meeting was to strengthen the organisation SIMI and collect funds for aiding the terrorist of Indian Mujahiddin and SIMI;

12. Case Crime No. ECIR/STF/17/2022 has been registered by the Directorate of Enforcement against the office bearers, Ex-SIMI members and cadres of PFI (now banned), along with others, for conspiring and raising or collecting funds within India and abroad through banking channels, Hawala, donations, etc. for committing or getting committed, terrorist acts across India. These cadres and members are also involved in activities supporting and furthering the proscribed terrorist organisations like SIMI and ISIS;

13. Case Crime No. 203/2022 has been registered at Padgha Police Station, Thane (R) under sections 153(a), 153(1)(a)(b) and 153(2) of the Indian Penal Code for writing of provocative text on Jamma (Moti) Mosque Padgha, Borivali, Thane to create a communal rift between two religions or communities and lead a violence and increase enmity between the two groups and disrupt social harmony. The case is pending trial in court;

14. Case Crime No. 15/2023 has been registered at Padgha Police Station, Thane (R) under sections 37(1)(3), 135 of the Maharashtra Police Act 1951, read with section 194(d), 129, 177 of the Motor Vehicle Act 1988, for raising slogans and hold rally for getting the bail to Atik Nachan in Ahemdabad NIA Court and violation of prohibition order of Collector and District Magistrate, Thane. The case is pending for trial in court;

15. Case Crime No. 1/2023 has been registered at STF Police Station, Khandwa under sections 121, 121A, 122, 123, 120B of Indian Penal Code against Abdul Raqib, being a member of various pro-ISIS, pro-Caliphate telegram channels. He regularly watched videos related to ISIS and also downloaded the same;

16. Case Crime No. 493/2019 has been registered at Kotwali Police Station, Gangapur, Sawai Madhopur under sections 147, 341, 342, 323, 15A, 295A, 296, 298 of Indian Penal Code against Mohd. Salam @Salla for attack

and pelting stones from the top of Jama Masjid on the rally of Vishwa Hindu Parishad (VHP) on 25th August, 2019 on the occasion of its Foundation Day;

17. Case Crime No. 488/2019 has been registered at Kotwarli Police Station, Gangapur, Sawai Madhopur under sections 147, 148, 149, 332, 353, 427 of Indian Penal Code against Alim for attack and pelting stones from the top of Jama Masjid on the rally of Vishwa Hindu Parishad (VHP) on 25th August, 2019 on the occasion of its Foundation Day;

18. Two SIMI activists have been sentenced to two years imprisonment and a fine of rupees one thousand each under Section 295A of Indian Penal Code by the court of Addl. District Magistrate, Jabalpur in Case Crime No. 706/2006 registered at Gohalpur Police Station, Jabalpur under section 153A, 34, 153B, 195A, 124A of the Indian Penal Code;

19. Three SIMI activists have been sentenced three years simple imprisonment and fine of rupees ten thousand each under section 419 of the Indian Penal Code, two years simple imprisonment and fine of rupees ten thousand each under section 10A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, seven years simple imprisonment and fine of rupees ten thousand each under section 13(1)(a), 13(1)(b) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and five years simple imprisonment and fine of rupees ten thousand each under section 13(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the Court of Additional Chief Judge, Bhopal in Case Crime No. 95/2008 registered at Kotwali Police Station, Bhopal under section 419 of Indian Penal Code and section 10, 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

20. One SIMI activist has been sentenced three years imprisonment by the court of JMFC, Indore in Case Crime No. 192/2008 registered at Khazrana Police Station, Indore under section 153A, 153B of Indian Penal Code and section 10, 11, 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

21. Two SIMI activists have been sentenced three years rigorous imprisonment under section 419 of the Indian Penal Code by the court of District, Bhopal in Case Crime No. 205/2008 registered at Shahjahanabad Police Station, Bhopal under section 419 of Indian Penal Code;

22. One SIMI activist has been sentenced ten years of imprisonment and fine of rupees ten thousand under section 394 of Indian Penal Code, five years imprisonment and fine of rupees fifty thousand under section 450 of the Indian Penal Code by the court of District, Indore in Case Crime No. 802/2008 registered at Khazrana Police Station, Indore under section 395, 397, 506 of the Indian Penal Code and 25 and 27 of Arms Act, 1959.

23. Three SIMI activist have been sentenced three years rigorous imprisonment and fine and two SIMI activist have been sentenced six months imprisonment and fine of rupees one thousand under section 143 of the Indian Penal Code, three years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under section 153A of Indian Penal Code, three years rigorous imprisonment under section 153B of Indian Penal Code, two years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under section 10 to the Unlawful Activities Amendment Act, 2004, three years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand condition to extra three months imprisonment in case of non-payment of fine under section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the court of Judicial Magistrate of First Class, Indore in Case Crime No. 05/2009 registered at STF/ATS Police Station, Bhopal under section 147, 149, 153A, 153B of Indian Penal Code and section 10, 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

24. Two SIMI activists have been sentenced life imprisonment and fine of one thousand each condition to extra six months imprisonment in case of non-payment of fine under section 395, 397 of Indian Penal Code by the court of Special Judge, NIA, Bhopal in Case Crime No. 456/2009 registered at BNP Police Station, Devas under section 395, 397 of Indian Penal Code and section 10, 13, 16, 17, 20, 21 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and section 25, 27 of the Arms Act, 1959;

25. One SIMI activist has been sentenced two years imprisonment and another one SIMI activist has been sentenced ten years rigorous imprisonment by Additional Sessions Judge, Indore in Case Crime No. 13/2010 registered at Bhanwar Kuwan, Indore under section 395, 397, 450, 398 of Indian Penal Code and section 25, 27 of Arms Act, 1959;

26. One SIMI activist has been sentenced life imprisonment and fine under section 302, 307 of Indian Penal Code and section 16(1)(a) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the court of Special Judge, NIA, Bhopal in Case Crime No. 35/2011 registered at GRP Ratlam Police Station, Indore (Rail) under section 307, 302, 34 of Indian Penal Code and section 10, 13, 16, 18 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and 25, 27 of Arms Act, 1959;

27. Four SIMI activists have been sentenced by the Special Judge, NIA, Bhopal in Case Crime No. 22/2013 registered at STF/ATS Police Station, Bhopal as details given below: -

(i) One SIMI activist has been sentenced ten years rigorous imprisonment and fine of rupees ten thousand under section 307 of Indian Penal Code, three years rigorous imprisonment and fine of rupees two thousand under section 25(1-B) A, 27 of Arms Act, 1959;

(ii) One SIMI activist has been sentenced ten years rigorous imprisonment and fine of rupees ten thousand under section 307 of Indian Penal Code, three years rigorous imprisonment and fine of rupees two thousand under section 25(1-B) A, 27 of Arms Act, 1959, seven-year rigorous imprisonment and fine of rupees five thousand under section 468 of the Indian Penal Code;

(iii) One SIMI activist has been sentenced life imprisonment and fine of rupees ten thousand under section 120B of Indian Penal Code read with section 4(B) of Explosive Substances Act 1908, life imprisonment and fine of rupees ten thousand under section 120B of Indian Penal Code read with section 5(B) of Explosive Substances Act 1908, seven years rigorous imprisonment and fine of rupees five thousand under section 468 of Indian Penal Code, life imprisonment and fine of rupees ten thousand under section 16 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967; and

(iv) One SIMI activist has been sentenced life imprisonment and fine of rupees ten thousand, separately under both section 4 and 5(B) of Explosive Substances Act 1908, life imprisonment and fine of rupees ten thousand under section 16 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

28. Five SIMI activists have been sentenced rigorous life imprisonment and fine of rupees two thousand under section 16B, 18 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 along with Section 25 of Arms Act 1959 by the Special Judge, NIA, Bhopal in Case Crime No. 01/2014 registered at STF/ATS Police Station, Bhopal under section 307, 34, 120B, 107, 115 of Indian Penal Code and section 10, 13(1), 13(2), 15, 16, 18, 19, 20, 38, 39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and section 3, 4, 5, 6 of the Explosive Substances Act 1908 and section 25 of Arms Act, 1959;

And whereas, the State Governments of Andhra Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh have recommended for declaration of SIMI as an 'unlawful association' under the provisions of the Act;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SIMI are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to –

(i) continue its subversive activities and re-organise its activists who are still absconding;

(ii) disrupt the secular fabric of the country by polluting the minds of the people by creating communal disharmony;

(iii) propagate anti-national sentiments;

(iv) escalate secessionism by supporting militancy; and

(v) undertake activities which are prejudicial to the integrity and security of the country;

And whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the SIMI, it is necessary to declare the Students Islamic Movement of India (SIMI) as an 'unlawful association' with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Students Islamic Movement of India (SIMI) as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Students Islamic Movement of India (SIMI) as an 'unlawful association' with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.14017/8/2023-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.01.29 16:17:21 +05'30'